उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूङ्घाण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 07/02/2008 को बोर्ड मुख्यालय सभागार में सम्पन्न हुई नवीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तरांखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूङ्घण नियंत्रण बोर्ड की नवीं बैठक दिनांक **07/02/2008** को पूर्वान्ह 11 बजे से बोर्ड मुख्यालय में अध्यक्ष यूईपीपीसीबी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बोर्ड बैठक में निम्नलिखित द्वारा बैठक मे प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री सुब्रह विश्वास, अध्यक्ष उत्तरांखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूङ्घण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री ए0आर0सिन्हा,मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण),रामपुर रोड, हल्द्वानी।
3. श्री आर0प्रसाद, वरिष्ठ अभियन्ता,पेयजल निगम, देहरादून।
4. श्री एन0के0पाण्डे, उपनगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
5. श्रीमती उङ्घा चौधरी, अध्यक्षा,नगरपालिका परिङ्घद, काशीपुर।
6. श्री एच0वी0मिश्रा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिङ्घद, हरिद्वार।
7. श्री रणवीर सिंह चौहान, सचिव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
8. श्री सुभाङ्घ गुप्ता, सहा0निदेशक,शहरी विकास निदेशालय।
9. श्री उमेश चन्द्र कबड़वाल, सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
10. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष,चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि।
11. श्री विजय कुमार, सदस्य सचिव, उत्तरांखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूङ्घण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा परिचय दिया गया।

उत्तरांखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूङ्घण नियंत्रण बोर्ड में उत्तराखण्ड चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि को बोर्ड सदस्य के रूप में नामित किया गया है। श्री पंकज गुप्ता को बोर्ड को पत्र दिनांक 14/11/2007, 11/12/2007, 21/01/2008 को इस आशय का पत्र प्रेङ्घित किया गया कि बोर्ड में प्रतिभाग किये जाने हेतु अधिकार पत्र/रिकार्ड उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श्री पंकज गुप्ता द्वारा बैठक मे अपर सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांखण्ड शासन के पत्र संख्या 555/औ.वि.–2002 दिनांक 29/05/2002 तथा पत्र संख्या 183 अ.स/औ.वि./पीएस/2002 दिनांक 13/09/2002, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिऐशन उत्तराखण्ड के पत्र संख्या शुन्य दिनांक 20/08/2002, प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रदेश महामंत्री के पत्र संख्या शुन्य दिनांक 12/04/2003 एवं कुमाऊ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एसोसिऐशन उत्तराखण्ड को प्रदूङ्घण नियंत्रण बोर्ड में उत्तराखण्ड चैम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत करने सम्बन्धी पत्रों के आधार एवं साक्ष्यों का अवलोकन बोडर्र द्वारा किया गया एवं बोर्ड द्वारा उनकी सदस्यता को वैध माना।

तदोपरान्त बैठक का कार्यसूची के अनुसार निम्न निर्णय लिये गये।

कार्य सूची संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
9.1	बोर्ड की आठवीं बैठक दिनांक 12/11/2007 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	दिनांक 12/11/2007 को सम्पन्न बोर्ड की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त पत्र सं0 यूईपीपीसीबी/एचओ/बोर्ड बैठक/सामान्य-103/2007/1503-5489 दिनांक 14/11/2007 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि यदि उनके स्तर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिऐशन आफ उत्तरांखण्ड द्वारा बोर्ड की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त पर बोर्ड में दिनांक 27/11/2007 को प्राप्त टिप्पणी पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि आठवीं बोर्ड बैठक के पूर्व में जारी अध्यक्ष बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।
9.2	बोर्ड की आठवीं बैठक मे लिये गये निर्णय पर अनुपालन आख्या।	बोर्ड की आठवीं बैठक के बिन्दु सं0 8.1 के बिन्दु सं0 7.3 एवं 7.4 पर बोर्ड द्वारा आडीटर रिर्पोट न होने के कारण इसे आगामी बैठक मे आडीटर रिर्पोटर के साथ प्रस्तुत किया जाये। बोर्ड की आठवीं बैठक के बिन्दु सं0 8.1 के बिन्दु सं0 7.7 पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उद्योगों के श्रेणीवार विभाजन हेतु गठित समिति द्वारा अन्तिम रिर्पोट प्राप्त की जाये । तदुपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाये। बोर्ड की आठवीं बैठक के बिन्दु सं0 8.1 के बिन्दु सं0 7.11 पर बोर्ड द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 8/01/2008 (एसएलपी 6023/2006) का अवलोकन किया गया एवं निर्णय हुआ कि उक्त को बोर्ड अध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त अन्तिम निर्णय हेतु सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांखण्ड शासन को शीघ्र सदर्भित किया जाये। बोर्ड की आठवीं बैठक के बिन्दु संख्या 8.1 के बिन्दु सं0 7.16.1 पर बोर्ड द्वारा किसी भी तकनीकी एवं विधि सलाहाकारों की आवश्यकता न महसूस करते हुऐ इनका कार्यकल आगे न बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि आठवीं बैठक के बिन्दु सं0 8.5 के क्रम में सभी बोर्ड सदस्यों को जी0बी0पन्त विश्वविद्यालय की अन्तिम तकनीकी रिर्पोट प्राप्त होने के उपरान्त प्रेषित कर दी गयी थी। जैसा कि पूर्व में निर्णय हुआ था कि सभी फार्मा के मुख्यालय में प्राप्त प्रकरणों को स्प ट आख्या उपरान्त मुख्य पर्यावरण अधिकारी द्वारा केस टू केस आधार पर अध्यक्ष को अग्रत्तर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये।
9.3	बोर्ड की वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 की आडिटेड बैलेन्स शीट का अवलोकन	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि आडिटेड बैलेन्स शीट को आडिटर्स की टिप्पणी के साथ आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।
9.4	वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुमोदित बजट के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा।	बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि अन्य संस्थाओं से प्राप्त धनराशि को भी बजट में परिलक्षित किया जाये तथा आगामी बैठक मे पुनः प्रस्तुत किया जाये।
9.5	बोर्ड का वर्ष 2008-09 का प्रस्तावित बजट	बोर्ड की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय हुआ कि एक विशेष बजट बैठक मार्च 2008 में आहुत की जाये।
9.6	बोर्ड की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ढांचे का संशोधित प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा प्रस्तावित ढांचे का अवलोकन किया एवं निर्दे दिये गये कि:- 1. पूर्व में शासन को प्रेषित 98 पदों का ढांचा तुरन्त स्वीकार कराने हेतु प्रयास किये जाये। 2. आउट सोर्ससिंग ऐजेन्सी के माध्यम से मानव शक्ति लेने के लिए पद सृजित करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त आउट सोर्ससिंग ऐजेन्सी के माध्यम से आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त सेवायें ली जाये। 3. बोर्ड में जिन कर्मियों की तत्काल आवश्यकता है को संविदा पर रखे जाने हेतु राज्य सरकार की अनुमति हेतु सूचित किया जाये। 4. बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए 98 पदों के अतिरिक्त जिन अन्य पदों की आवश्यकता है का अतिरिक्त प्रस्ताव आगामी बैठक में

		प्रस्तुत किया जाये एवं पूर्व में प्रेषित सेवा नियमावली शासन से अग्रत्तर कार्यवाही हेतु अनुस्मारक भेजा जाये।
9.7	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 64 के अन्तर्गत राज्य की ड्राफ्ट जल नियमावली का प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया तथा यह यह निर्देश दिये गये थे राज्य सरकार को जल अधिनियम 1974 की पूर्व में प्रेषित नियमावली पर अनुस्मारक भेजा जाये।
9.8	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 54 के अन्तर्गत राज्य की ड्राफ्ट वायु नियमावली का प्रस्ताव	बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया तथा यह निर्देश दिये गये थे राज्य सरकार को वायु अधिनियम 1981 की पूर्व में प्रेषित नियमावली पर अनुस्मारक भेजा जाये।
9.9	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 52 के अन्तर्गत राज्य जल प्रयोगशाला को अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।	प्रदेश की जिस प्रयोगशाला को बोर्ड की जल प्रयोगशाला घोषित किया जाना है उसके सभी आकड़े यथा अनुश्रवण सुविधा, इन्स्ट्रूमेंटेशरन, स्टाफ इत्यादि का विवरण प्रस्तुत करते हुए पुनः बैठक में लाया जाये।
9.10	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 28 के अन्तर्गत राज्य वायु प्रयोगशाला को अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।	प्रदेश की जिस प्रयोगशाला को बोर्ड की वायु प्रयोगशाला घोषित किया जाना है उसके सभी आकड़े यथा अनुश्रवण सुविधा, इन्स्ट्रूमेंटेशरन, स्टाफ इत्यादि का विवरण प्रस्तुत करते हुए पुनः बैठक में लाया जाये।
9.11	बोर्ड के गठन से अगस्त 2007 तक महालेखाकार द्वारा आडिट आपत्तियों का बोर्ड के समक्ष अवलोनार्थ प्रस्तुतीकरण।	महालेखाकार द्वारा आडिट आपत्तियों पर सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि वह टिप्पणी तैयार कर अध्यक्ष को जबाव तैयार करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाये।
9.12	स्हमति एवं प्राधिकार सम्बन्धी मार्गदर्शिका जिसमें सहमति शुल्क तथा उद्योगों का श्रेणीवार विभाजन भी सम्मिलित है का प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि EIA नोटिफिकेशन 2006 भारत सरकार के द्वारा 15 सितम्बर, 2006 गजट के जारी होने के उपरान्त इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
9.13	पत्रावलियों के रखरखाव एवं कस्टोडियन बनाने के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी प्रस्ताव।	पत्रावलियों के रखरखाव हेतु राज्य सरकार के नियमों कर अनुपालन किया जाये।
9.14	सहमति स्थानापार्थ एवं सहमति संचालन हेतु लम्बित प्रकरणों पर समीक्षा।	बोर्ड द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि आवेदन वापस किया जाना नियम या अधिनियम में कहीं भी उल्लेखित नहीं है यदि विशेष परिस्थितियों में सहमति प्रकरणों को वापस किया जाना आवश्यक है तो यह अधिकार बोर्ड के पास रहेगा। अभी तक जितने भी आवेदन पत्र वापस किये गये है उनके सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में जन सूचना दी जायें यदि उक्त सूचना के निर्धारित एक माह के समय सीमा के पश्चात भी कोई इच्छुक

<table>
<tr><td></td><td></td><td>आवेदक आवेदन न करे तो आवेदन पत्र अस्वीकृत माना जायेगा।
यह भी निर्णय हुआ कि आवेदक अस्वीकृत आवेदन दुबारा से पुर्ण विचार हेतु संशोधित आवेदन करना चाहता है तो उसको पूर्व में दिये गये शुल्क का 10% अतिरिक्त शुल्क जमा कर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।</td></tr>
<tr><td>9.15</td><td>जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 12(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 14(2) के अन्तर्गत प्रतिनिधायन की गई शक्तियों के सम्बन्ध में।</td><td>जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 12 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 14 के अन्तर्गत बोर्ड के अधिकारियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में लाया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा सहमति प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित समितियों को भंग करने का निर्णय लिया गया एवं उद्योगों को अनापत्ति एवं सहमति प्रकरणों पर निर्णय किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रतिनिधायन को पुनः विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के विभिन्न अधिकारियों को उद्योगों की निवेश व Pollution Potential को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार तकनीकी कार्य का प्रतिनिधायन किया गया।
जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत अनापत्ति, सहमति एवं परिसंकट में अपशि ट नियम 1989, जैव चिकित्सा अपशि ट नियम 1989, जैव चिकित्सा अपशि ट नियम 2001, नगरीय ठोस अपशि ट नियम 2000, माइक्रोओग्रेन्जिम जैनेटिक इन्जीनियरिंग 1989, बैटरी नियम 2001, के अन्तर्गत प्राधिकार निर्गमन किये गये।
<table>
<tr><th>तकनीकी कार्य विवरण</th><th>उद्योग निवेश सीमा</th><th>अधिकृत स्तर</th></tr>
<tr><td>1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति प्रमाण पत्र</td><td>50 करोड़ से अधिक</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
<tr><td>2. परिसंकट अपशि ट प्रबन्धन नियम में अनुसूची 1 में वर्णित सभी प्रकार के उद्योगों क्रंमाक 1 से 36 श्रेणी तक के उद्योगों व प्रक्रिया के समस्त प्राधिकार</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3. परिसंकट रसायन उत्पादन प्रबन्धन नियम 1989 में वर्णित Threshold मात्रा से अधिक के अनुसूची 1,2 व 3 में वर्णित रसायनों के भण्डारन के प्राधिकार</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4. परिसंकट माइक्रोओग्रेन्जिम जैनेटिक इन्जीनियरिंग 1989 में वर्णित उद्योगों के प्राधिकार</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5. बैटरी (प्रबन्धन एवं हथालन) के अनुपालन का प्राधिकार</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6. समस्त नगरीय ठोस अपशि ठ नियम के अन्तर्गत प्राधिकार</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7. बायो मेडिकल अपशि ट में 50 शय्याओं से अधिक के Health Care Facilities के प्राधिकार के पत्र</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8. दून घाटी में स्थित लाल श्रेणी के उद्योगों को सहमति पत्र</td><td>शून्य से अधिकतम</td><td></td></tr>
<tr><td>9. अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्रमाण पत्र</td><td>5 से 50 करोड़ तक</td><td>मुख्य पर्यावरण अधिकारी</td></tr>
<tr><td>10. अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्रमाण पत्र</td><td rowspan="2">शून्य से 5 करोड़ तक</td><td rowspan="2">क्षेत्रीय अधिकारी</td></tr>
<tr><td>11. बायो मेडिकल अपशि ट में 50 शय्याओं से अधिक के Health Care Facilities के प्राधिकार के पत्र</td></tr>
</table>
बोर्ड द्वारा स्थिति का अवलोकन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया था कि समस्त अन्नापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति एवं नवीनीकरण चाहे वह किसी भी नियम या अधिनियम के अन्तर्गत हो सम्बन्धित प्रकरणों को अस्वीकृत करने वाले सभी मामलो (हरी, नारंगी एवं लाल श्रेणी समेत) को अध्यक्ष बोर्ड को सन्दर्भित कर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>9.16</td><td>बोर्ड द्वारा विभिन्न अवसरों पर विज्ञापन दिये जाने के सम्बन्ध में।</td><td>बोर्ड द्वारा प्रस्तावित नीति का अवलोकन किया गया एवं निर्देश दिये गये कि पूर्व में प्रतिनिधायन की गई वित्तीय शक्तियों के अनुसार सक्षम स्तर से यथोचित कार्यवाही की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>9.17</td><td colspan="2">अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य विषय।</td></tr>
<tr><td>9. 17(1)</td><td>केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त वित्तीय सहायता के</td><td>श्री विपिन कुमार के माध्यम से National Urban Renewal Mission Towns के बाहर ही कार्य कराये जाये। Terms of Reference, Mode of Payment को किये जाने वाले कार्य के साथ जोड़ा जाये तथा तत्पश्चात अध्यक्ष बोर्ड को प्रस्तुत किया जाये।</td></tr>
</table>

	अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य हेतु सालिड वैस्त सम्बन्धी कार्य श्री विपिन कुमार से कराये जाने के सम्बन्ध में।	
9. 17(2)	शासन के अधिकारियों को मोबाईल के बिल की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनूमोदित किया गया कि बोर्ड द्वारा सातवीं बैठक दिनांक 06/07/2007 में बोर्ड के कर्मियो को मोबाइल के बिल की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी निर्णय के अनुसार ही अपर सचिव एवं उप सचिव के मोबाईल फोन के बिलों की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यवाही की जाये। उक्त हेतु सम्बन्धित अधिकारी को एक प्रमाण पत्र देना होगा। कि उनके द्वारा उक्त बिल का अन्यत्र से भुगतान प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अन्त में बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों प्रतिभागियों का बैठक में भाग लेने एवं अपने विचार रखने हेतु धन्यवाद प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय के आभार के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

अनुमोदित
-sd-
(सुब्रत विश्वास)
अध्यक्ष
उत्तरांखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूङ्ण नियंत्रण
बोर्ड, देहरादून

(विजय कुमार)
सदस्य सचिव
उत्तरांखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूङ्ण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून